राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ''सकीय राजपत्र के आगामी अंक म प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली– 110001

दिनांक 7 जून, 2017

17 ज्येष्ठ, 1939(शक)

आदेश

सं0 76/दिल्ली–वि0स0/2015 (4) यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2015 में स्तम्भ (3) में अपने नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन–क्षेत्र से और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों द्वारा यथाअपेक्षित, उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथाप्रदर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है; और

यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या औचित्य नहीं है;

यतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क0 सं0	निर्वाचन का विवरण	विधानसभा निर्वाचन की क्रम सं0 एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा साधारण निर्वाचन 2015	02– बुराड़ी	जे0एस0 चौहान म0नं0 1908, आउट्रम लाइन, दिल्ली–110009	निर्वाचन व्ययं का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	– वही –	– वही –	मधु दिवाकर म0 नं0 6 जी, 25 फुटा रोड, मुकंदपुर विस्तार भाग–2 दिल्ली – 110 042	– वही –
3.	– वही –	– वही –	राजबीर सिंह 62/14 खसरा नं0 20/1, गली नं0 5, ए–2 ब्लॉक, वेस्ट संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली–110084	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहें

आदेश से

(के0 एफ0 विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग